OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA

Order No.18/36-2020 PGT-III (9) DATED, PANCHKULA THE 10.08.2020

Smt. Meenakshi Rani, PGT Sanskrit, Govt. Sr. Sec. School, Ramgarh (Panchkula) is hereby granted Child Care Leave w.e.f. **21.08.2020 to 31.12.2020** as per Finance Department instructions No. 11/102/2009-3 FR dated 05.02.2010 and lettser No. 11/102/2009-3FR/28067 dated 01.02.2016.

J. GANESAN
Director Secondary Education
Haryana, Panchkula

ENDST. NO. EVEN **DATED, PANCHKULA THE** 10/8/2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer, Panchkula w.r.t. his/her memo No E/1-2020/2909 dated 09.07.2020.
2. Principal/Headmaster, Govt. Sr. Sec. School, Ramgarh (Panchkula).
3. Smt. Meenakshi Rani, PGT Sanskrit, Govt. Sr. Sec. School, Ramgarh (Panchkula).
4. IT Cell for uploading the orders on website.

10/8/2020

Superintendent PGT-III
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula

D:\Kuldeep\Sanction\CCL SANCTION.Docx

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

दिनांक, पंचकूला: **07.08.2020**

आदेश क्रमांक **5/7-2019 PS(2)**

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम–2003 के नियम 33 मे निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **The Gurukul, Sector-20, Panchkula** को कक्षा **11वीं से 12वीं** तक **केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली** से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विद्यालय के स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक **5/7-2019 PS(2)** दिनांक **16.07.2020** में निहित शर्तो तथा समय–समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था मे यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापिस लिया समझा जायेगा। विद्यालय का कोड न0 **28/PKL/12th/BOSE/2020** है।

जे0 गणेशन, आई0ए0एस0
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

दिनांक पंचकूला 11/8/2020

पृष्ठांकण क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रबन्धक समिति, **Darbari Lal Foundationm, G-2, Ashok Vihar, Phase-1, Delhi.**
2. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र–2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार दिल्ली।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, **Panchkula.**
5. **Principal, The Gurukul, Sector-20, Panchkula.**
6. आई0टी0 सैल (H.Q.)
7. ऑफिस रिकार्ड।

11/8/2020

उप अधीक्षक पी0एस0
कृतेः निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पचंकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

आदेश क्रमांक **5/14-2019 PS(2)** **दिनांक, पंचकूला: 07.08.2020**

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम–2003 के नियम 33 मे निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **Sapient Sr. Sec. Public School, Nalagarh Road, Pinjore, Panchkula** को कक्षा **1 से 12वीं** तक **केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली** से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विद्यालय के स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक **5/14-2019 PS(2)** दिनांक **17.07.2020** में निहित शर्तो तथा समय–समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था मे यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापिस लिया समझा जायेगा। विद्यालय का कोड न0 **4618/PKL/12th/BOSE/2020** है।

जे0 गणेशन, आई0ए0एस0
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकण क्रमांक सम दिनांक पंचकूला 11/8/2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रबन्धक समिति, **Sapient Educational Society, Sapient Sr. Sec. School, Nalagarh Road, Pinjore, Panchkula.**
2. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र–2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार दिल्ली।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, **Panchkula.**
5. **Principal, Sapient Sr. Sec. Public School, Nalagarh Road, Pinjore, Panchkula.**
6. आई0टी0 सैल (H.Q.)
7. ऑफिस रिकार्ड।

11/8/2020
उप अधीक्षक पी0एस0
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पचंकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

आदेश क्रमांक **5/1-2020 PS(1)** **दिनांक, पंचकूला: 07.08.2020**

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम–2003 के नियम 33 मे निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **D.A.V. Police Public School, Police Line, Panchkula** को कक्षा **11वी से 12वीं** तक **केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली** से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विद्यालय के स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक **PSR032020145** दिनांक **31.07.2020** में निहित शर्तो तथा समय–समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था मे यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापिस लिया समझा जायेगा। विद्यालय का कोड न0 **3499/PKL/12th/BOSE/2019** है।

जे0 गणेशन, आई0ए0एस0
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकण क्रमांक सम दिनांक पंचकूला 11/8/2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रबन्धक समिति, **Dayanand Anglo Vedic College Trust &Management Society, New Delhi.**
2. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र–2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार दिल्ली।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, **Panchkula.**
5. **Principal, D.A.V. Police Public School, Police Line, Panchkula.**
6. आई0टी0 सैल (H.Q.)
7. ऑफिस रिकार्ड।

11/8/2020

उप अधीक्षक पी0एस0
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पचंकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

आदेश क्रमांक **5/7-2017 PS(2)** दिनांक, पंचकूलाः **07.08.2020**

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम–2003 के नियम 33 मे निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **Akal Jyot Public School, Lohgarh, Pinjore, Panchkula** को कक्षा **9वीं से 12वीं** तक **केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली** से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। विद्यालय के स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक **5/7-2017 PS(2)** दिनांक **18.06.2020** मे निहित शर्तो तथा समय–समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था मे यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापिस लिया समझा जायेगा। विद्यालय का कोड न0 **1635 / PKL/12th/BOSE/2020** है।

जे0 गणेशन, आई0ए0एस0
निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पंचकूला।

पृष्ठांकण क्रमांक सम दिनांक पंचकूला 11/8/2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रबन्धक समिति, **Akal Jyot Public School Society, Vill. Lohgarh, Pinjore, Panchkula .**
2. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र–2, सामुदायिक केन्द्र, प्रीत विहार दिल्ली।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, **Panchkula.**
5. **Principal, Akal Jyot Public School, Lohgarh, Pinjore, Panchkula.**
6. आई0टी0 सैल (H.Q.)
7. ऑफिस रिकार्ड।

11/8/2020

उप अधीक्षक पी0एस0
कृतेः निदेशक सैकण्डरी शिक्षा,
हरियाणा, पचंकूला।

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालयः शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्सः 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Order No. 23/53-2020 HRME-I (6) Dated, Panchkula, the 30.7.2020

As per provision contained in Haryana Govt. Finance Department instructions No. 1/20/16 (ACP)-5PR (FD) dated 28.10.2016 of Haryana Civil Services (ACP) Rules 2016. **Sh. Naresh Kumar, Clerk GHS Jandli Khurd, Fatehabad** is hereby **1st ACP in the ACPL-4 w.e.f. 1.5.2020 as clerk** on completion of **8** years regular satisfactory Service.

Satinder Siwatch
Joint Director Admn -I
O/o Director Secondary Education
Haryana, Panchkula

Endst. No. Even **Dated Panchkula, the** 11-8-2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

Regd.

1. **DEO Fatehabad** w.r.t. his office memo. **No. E-2/20/6630 dated 19.5.2020**. The service book & personal file of the official is returned herewith.
2. The Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
3. **Headmaster, GHS Jandli Khurd, Fatehabad.**
4. **Sh. Naresh Kumar, Clerk GHS Jandli Khurd, Fatehabad.**
5. IT Cell, H.Q.

Shkuntla
Dy **SUPERINTENDENT HRME-I**
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृ...
Education, Culture an...
School Education, Harya...
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

Off.: Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253
कार्यालय: शिक्षा सदन, सैक्टर 5 पंचकुला–134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253
e-mail: edusecondaryhry@gmail.com - site: www.schooleducationharyana.gov.in

Order No. 23/51-2020 HRME-I (6) Dated, Panchkula, the 30.7.2020

As per provision contained in Haryana Govt. Finance Department instructions No. 1/20/16 (ACP)-5PR (FD) dated 28.10.2016 of Haryana Civil Services (ACP) Rules 2016. **Sh Suresh Kumar, Clerk GMS Gullarwala, Fatehabad** is hereby **1st ACP in the ACPL-4 w.e.f. 1.5.2020 as clerk** on completion of **8** years regular satisfactory Service.

Satinder Siwatch
Joint Director Admn -I
O/o Director Secondary Education
Haryana, Panchkula

Endst. No. Even **Dated Panchkula, the** 11-8-2020

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

Regd.

1. **DEO Fatehabad** w.r.t. his office memo. **No. E-2/20/6650 dated 27.5.2020**. The service book & personal file of the official is returned herewith.
2. The Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh.
3. **Headmaster, GMS Gullarwala, Fatehabad.**
4. **Sh Suresh Kumar, Clerk GMS Gullarwala, Fatehabad.**
5. IT Cell, H.Q.

Sd/-
Dy SUPERINTENDENT HRME-I
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

ORDER

NO. 4/ 28-2020 HRME-I (4) **Dated, Panchkula, the:-07.08.2020**

The following employee is hereby transferred with immediate effect:-

Sr. No.	Name, Designation	Present Place of Posting	Transfer/Adjusted	Remarks
1.	Sh. Nar Singh, **Statistical Assistant, Employee ID (065852)**	DEO [4120] Bhiwani	DEO [4158] Hisar	**Against Vacancy**

Note :-

1. The official will be relieved immediately and if he/she fails to do so, he/she will be liable for disciplinary action, However if any official is working in Census duty, he/she shall not be relieved till the Census duty is accomplished.
2. No TA/DA and joining time will be admissible to the official if he/she has been shifted on his/her request after exercising option.
3. If there is no vacancy in the destination school for any reason the incumbent transferred shall re-join his/her previous place of posting and also inform to concerned branch/computer cell at HQ.
   If any discrepancy is noticed in this order or there is a violation of transfer policy, It should be brought to the notice of Computer Cell/Concerned branch within three days and the order be not implemented.
4. The condition that official has not been joined previous transfer place of posting is not implemented on Cancellation Order.
5. The official will be update their profile in MIS Portal when he/she join/relieve from his present working station and also supply the information to the Directorate.
6. Concerned DDO is also requested to update and approved MIS data of the official at your own level.

SATINDER SIWATCH
JOINT DIRECTOR ADMN-I
O/o DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. 4/28-2020 HRME-I (4) **Dated Panchkula, the:-** 13.08.2020

A copy of the above is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. District Education Officer concerned.
2. Head of the institution concerned.
3. Official concerned.
4. Secy. OSD/CM.
5. Sr. PS/E.M.
6. Sr. PS/ACSSE.
7. PS/DSE.
8. IT Cell.
9. Data Entry Operator (HRME Branch) is requested to update the data of the concerned official on the website/MIS Portal please.

13/8/2020

DY. DIRECTOR HRME-I
for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
e-mail: edusecondary@hry.nic.in

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
EDUCATION DEPARTMENT
शिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

आदेश क्रमांक **24/19-2019 HRME-II(1)** दिनांक, पंचकुला :– 6/8/2020

1- इसके द्वारा **श्री नीलम कुमार, लिपिक,रा0उ0वि0 महलाना, सोनीपत अब रा0व0मा0वि0 फरमाना, सोनीपत** को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरापों के आधारों पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियमावली, 2016 के नियम–7 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित है।

2- इसके द्वारा **श्री नीलम कुमार, लिपिक** से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से **15 दिन** की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंनें क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।

3- इसके द्वारा **श्री नीलम कुमार, लिपिक** को आगे सूचित किया जाता हैं कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते है तो उन्हें निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते है। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय, शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामले के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्ही दस्तावेजो को दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हे यह दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि **श्री नीलम कुमार, लिपिक** ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते है जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नही है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी **श्री नीलम कुमार, लिपिक** को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हे इस सम्बन्ध कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।

4- लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहियें।

5- संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

(सतिन्द्र सिवाच)
संयुक्त निदेशक प्रशासन–1
कार्या0 सैकेण्डरी शिक्षा विभाग, हरियाणा,
पंचकुला।

REGD.

श्री नीलम कुमार, लिपिक,रा0उ0वि0 महलाना, सोनीपत ।
अब रा0व0मा0वि0 फरमाना, सोनीपत।

पृष्ठांकन क्रमांक सम दिनांक, पंचकुला:– 7/8/2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है:–

1. जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत ।
2. IT Cell.

Sukhbir
उपअधीक्षक एच0आर0एम0ई0–।।
कृतेः निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।

अभियोग सूची नियम–7 विरूद्ध श्री नीलम कुमार, लिपिक,रा0उ0वि0 महलाना, सोनीपत अब रा0व0मा0वि0 फरमाना, सोनीपत।

श्री नीलम कुमार, लिपिक,रा0उ0वि0 महलाना, सोनीपत अब रा0व0मा0वि0 फरमाना, सोनीपत ने रा0उ0वि0 महलाना, सोनीपत में कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की है:–

यह है कि शिकायतकर्ता श्री बलवान सिंह, सेवानिवृत मुख्याध्यापक रा0उ0वि0 महलाना (अब Expired) द्वारा सी0एम0विण्डो पर श्री नीलम कुमार, लिपिक के विरूद्ध शिकायत न0 36131 दर्ज की गई जिसमें खण्ड शिक्षा अधिकारी सोनीपत द्वारा सौपी गई रिपोर्ट के अनुसार सूचित किया गया कि श्री नीलम कुमार, लिपिक ने एच0बी0ए0 केस तैयार करके क्रमांक न0 180 दिनांक 24.09.2012 अनुसार भेजा था जिस पर तत्कालीन मुख्याध्यापक बलवान सिंह के हस्ताक्षर नही और न ही मामला उनके संज्ञान में था जबकि मुख्याध्यापक बलवान सिंह ने दिनांक 11.09.2012 को पूर्व दोपहर ही विघालय में ज्वाईन कर लिया था। तत्पश्चात यही एच0बी0ए0 केस क्रमांक न0 187 दिनांक 09.11.2012 के अनुसार पुनः Objection remove करके भेजा गया, जिस पर भी मुख्याध्यापक के हस्ताक्षर नही कराए गए, जिसकी ऑफिस कॉपी भी नही है। इसके साथ– साथ एच0बी0ए0 केस में प्रयुक्त स्टैम्प पेपर की अवधि भी समाप्त हो चुकी थी।

इस प्रकार श्री नीलम कुमार, लिपिक को जो एच0बी0ए0 प्राप्त हुआ, उससे उक्त कर्मचारी द्वारा गॉव में कोई मकान नही बनाया गया जिससे सम्बधित दस्तावेज शिकायतकर्ता श्री बलवान सिंह द्वारा आई0टी0आई0 के माध्यम से प्राप्त किए गए।

अतः जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि श्री नीलम कुमार, लिपिक ने विभाग/सरकार से स्वीकृत लोन को भवन निर्माण कार्य में नही लगाया गया। ऐसा करके उन्होने सरकारी राशि का दुरूपयोग किया है।

अतः उपरोक्त अनियमितताएं श्री नीलम कुमार, लिपिक,रा0उ0वि0 महलाना, सोनीपत अब रा0व0मा0वि0 फरमाना, सोनीपत के गंभीर कदाचार को व्यक्त करती है। ऐसा करके उन्होने हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम 4(i), (ii), (iii) व (iv) की उल्लंघना की है और हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एवं अपील) नियमावली 2016 के नियम–7 के अन्तर्गत अपने आपको कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है ।

(सतिन्द्र सिवाच)
संयुक्त निदेशक प्रशासन–।
कार्यालय निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

आरोप सूची नियम–7 विरूद्ध – श्री नीलम कुमार, लिपिक,रा0उ0वि0 महलाना, सोनीपत अब रा0व0मा0वि0 फरमाना, सोनीपत।

आपने रा0उ0वि0 महलाना, सोनीपत में लिपिक के पद पर कार्यरत रहते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की है :–

यह है कि शिकायतकर्ता श्री बलवान सिंह, सेवानिवृत मुख्याध्यापक रा0उ0वि0 महलाना (अब Expired) द्वारा सी0एम0विण्डो पर आपके विरूद्ध शिकायत न0 36131 दर्ज की गई जिसमें खण्ड शिक्षा अधिकारी सोनीपत द्वारा सौपी गई रिपोर्ट के अनुसार सूचित किया गया कि आप द्वारा एच0बी0ए0 केस तैयार करके क्रमांक न0 180 दिनांक 24.09.2012 अनुसार भेजा था जिस पर तत्कालीन मुख्याध्यापक बलवान सिंह के हस्ताक्षर नही और न ही मामला उनके संज्ञान में था जबकि मुख्याध्यापक बलवान सिंह ने दिनांक 11.09.2012 को पूर्व दोपहर ही विघालय में ज्वाईन कर लिया था। तत्पश्चात यही एच0बी0ए0 केस क्रमांक न0 187 दिनांक 09.11.2012 के अनुसार पुनः Objection remove करके भेजा गया, जिस पर भी मुख्याध्यापक के हस्तााक्षर नही कराए गए, जिसकी ऑफिस कॉपी भी नही है। इसके साथ–साथ एच0बी0ए0 केस में प्रयुक्त स्टैम्प पेपर की अवधि भी समाप्त हो चुकी थी।

इस प्रकार आप द्वारा जो एच0बी0ए0 प्राप्त हुआ, उससे आप द्वारा गॉव में कोई मकान नही बनाया गया। जिस बारे सम्बधित दस्तावेज शिकायतकर्ता श्री बलवान सिंह द्वारा आई0टी0आई0 के माध्यम से प्राप्त किए गए, तथा जांच रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि आपने विभाग/सरकार से स्वीकृत लोन को भवन निर्माण कार्य में नही लगाया गया। ऐसा करके आपने सरकारी राशि का दुरूपयोग किया है।

उपरोक्त अनियमितताएं आपके गंभीर कदाचार को व्यक्त करती है तथा ऐसा करके आपने हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एंव अपील) नियमावली, 2016 के नियम 4 (i), (ii),(iii) व (iv) की उल्लंघना की है और हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड एंव अपील) नियमावली, 2016 के नियम–7 के अन्तर्गत अपने आपको कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

(सतिन्द्र सिवाच)
संयुक्त निदेशक प्रशासन–।
कार्यालय निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला ।

गंवाह सूची नियम–7 विरूद्ध श्री नीलम कुमार, लिपिक,रा0उ0वि0 महलाना, सोनीपत अब रा0व0मा0वि0 फरमाना, सोनीपत।

रिकार्ड सूची ।

1. जांच रिपोर्ट/ए0टी0आर0 खण्ड शिक्षा अधिकारी, सोनीपत ।

गवाह सूची :–

1. जिला शिक्षा अधिकारी सोनीपत ।
2. मुख्याध्यापक रा0उ0वि0 महलाना जिला सोनीपत ।

(सतिन्द्र सिवाच)
संयुक्त निदेशक प्रशासन–।
कार्यालय महानिदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।